Government of Rajasthan

Parliamentary Affairs Department

No. F7(1) Sansad/2010 *Jaipur, dated 9-11-10*

NOTIFICATION

In excise of the powers conferred by section 11 read with section 4-C of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. VI of 1957), the State Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Ex-Members (Family Pension) Rules, 2010.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st August, 2009.

2. Definitions.– In these rules, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. VI of 1957);

(b) "Assembly" means the Rajasthan Legislative Assembly;

(c) "Ex-Member" means a persons who is a recipient of or is entitled to pension under section 4-A of the Act; and

(d) "Secretary" means the Secretary, Rajasthan Legislative Assembly and includes any officer of the said Assembly, specially empowered by the Speaker to perform the functions of the Secretary under these rules.

3. Application for family pension.- An application for the grant of family pension, under these rules shall be made by the person entitled to such pension under section 4-C of the Act, to the Secretary in Form I.

राजस्थान सरकार

संसदीय कार्य विभाग

सं. एफ.7(1) संसद/2010 जयपुर, दिनांक 9.11.2010

अधिसूचना

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम स. 6) की धारा 4-ग के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा (भूतपूर्व सदस्य कौटुम्बिक पेंशन) नियम, 2010 है।

(2) ये 1 अगस्त, 2009 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) अभिप्रेत है;

(ख) ''सभा'' से राजस्थान विधान सभा अभिप्रेत है;

(ग) ''भूतपूर्व सदस्य'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 4-क के अधीन पेंशन पाने वाला है या का हकदार है; और

(घ) ''सचिव'' से राजस्थान विधान सभा का सचिव अभिप्रेत है और इन नियमों के अधीन सचिव के कृत्यों का पालन करने के लिए अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से सशक्त उक्त सभा का कोई अधिकारी इसके अन्तर्गत है।

3. कौटुम्बिक पेंशन के लिए आवेदन.- इन नियमों के अधीन कौटुम्बिक पेंशन की मंजूरी के लिए कोई आवेदन, अधिनियम की धारा 4-ग के अधीन ऐसी पेंशन के लिए हकदार व्यक्ति द्वारा प्ररुप 1 में सचिव को किया जायेगा।

4. Scrutiny of application and issue of Family Pension Payment Order.– (1) On receipt of an application for the grant of family pension under these rules, the Secretary shall determine, after such verification as he deems necessary, the eligibility or otherwise for the grant of family pension to the person claiming such pension under the Act.

(2) In case of person by whom the family pension is claimed is found eligible to grant of the same, Family Pension Payment Order shall be issued in favour of the applicant by the Secretary in Form II.

5. Mode of payment of family pension.– (1) The first payment of pension and subsequent payments of pension for the month of November every year shall be subject to the production (in respect of the person entitled to pension under the Act) of a declaration in Form No. III.

(2) The family pension payment order shall be prepared in triplicate and the first copy shall be delivered to the applicant and the second shall be sent to the public sector bank branch approval by the State Government or to the Treasury Officer from which the applicant desired to draw his family pension. A copy thereof shall be retained for record.

(3) (i) The payment of family pension under these rules shall be made to the person in whose favour Family Pension Payment Order is issued either at a treasury in the State or through the public sector bank at his option. The payment of such family pension under these rules through the public sector bank shall be made in accordance with scheme for payment of pension through public sector bank applicable to State Pensioners.

(ii) When payment of family pension is desired at a treasury in the State, the half part of the family pension payment order of Treasury shall be sent to the Treasury Officers concerned by the Secretary and the payment of family pension shall be made to the person on presentation of the Family Pension Payment Order along with family pension bill in the Form IV. The record of payment of pension shall be kept on the reverse portion of the Family Pension Payment Order and entries shall be made in both the halves of the family pension payment order in token of payment having been made under the attestation of the Treasury Officers.

4. आवेदन की संवीक्षा और कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश का जारी किया जाना.- (1) इन नियमों के अधीन कौटुम्बिक पेंशन की मंजूरी के लिए किसी आवेदन के प्राप्त होने पर सचिव, ऐसे सत्यापन के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, अधिनियम के अधीन ऐसी पेंशन का दावा करने वाले व्यक्ति की कौटुम्बिक पेंशन की मंजूरी के लिए पात्रता या अन्यथा का अवधारण करेगा।

(2) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसके द्वारा कौटुम्बिक पेंशन का दावा किया गया है, उसकी मंजूरी के लिए पात्र पाया जाता है तो सचिव द्वारा प्ररूप 2 में आवेदन के पक्ष में कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश जारी किया जायेगा।

5. कौटुम्बिक पेंशन के संदाय की रीति.-(1) पेंशन का प्रथम संदाय और प्रत्येक वर्ष नवम्बर मास के लिए पेंशन के पश्चात्वर्ती संदाय प्ररूप 3 में की घोषणा (अधिनियम के अधीन पेंशन के हकदार व्यक्ति के सम्बन्ध में) पेश करने के अध्यधीन होंगे।

(2) कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश तीन प्रतियों में तैयार किये जायेंगे और पहली प्रति आवेदक को प्रदत्त की जायेगी और दूसरी प्रति राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उस पब्लिक सेक्टर बैंक की शाखा या कोषाधिकारी को, जिससे आवेदक अपनी कौटुम्बिक पेंशन आहरित करने का इच्छुक है, भेजी जायेगी। उसकी एक प्रति अभिलेख के लिए रखी जायेगी।

(3) (i) इन नियमों के अधीन कौटुम्बिक पेंशन का संदाय उस व्यक्ति को किया जायेगा जिसके पक्ष में कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश या तो राज्य में के किसी कोषागार पर या उसके विकल्प पर पब्लिक सेक्टर बैंक के मार्फत जारी किया गया है। इन नियमों के अधीन पब्लिक सेक्टर बैंक की मार्फत ऐसी कौटुम्बिक पेंशन का संदाय राज्य पेन्शनरों को लागू पब्लिक सेक्टर बैंक की मार्फत पेंशन के संदाय के लिए स्कीम के अनुसार किया जायेगा।

(ii) जब कौटुम्बिक पेंशन का संदाय राज्य में किसी कोषागार पर चाहा गया हो तब कोषागार के कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश का आधा भाग सचिव द्वारा सम्बन्धित कोषाधिकारियों को भेजा जायेगा और कौटुम्बिक पेंशन का संदाय प्ररूप-4 में कौटुम्बिक पेंशन बिल के साथ कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश के प्रस्तुत करने पर व्यक्ति को किया जायेगा। पेंशन के संदाय का अभिलेख कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश के पिछले भाग पर रखा जायेगा और प्रविष्टियों, कोषाधिकारियों के अनुप्रमाणन के अधीन संदाय कर दिया गया है, के प्रतीक स्वरूप कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश के दोनों अर्द्ध भागों में की जायेंगी।

(4) A register of all the Family Pension Payment Orders shall be maintained by the Secretary recording the particulars of family pension payment orders issued, cancelled or revised.

6. Issue of revised Family Pension Payment Order.– The Secretary on being satisfied that the revision of the Family Pension Payment Order issued under rule 3 is necessary, may, sue moto or otherwise, issue revised Family Pension Payment Order from time to time as to confirm to the provisions of the Act and rules and upon the issue of a revised Family Pension Payment Order, the previous Family Pension Payment Order in force shall cease to be effective :

Provided that the amount of the family pension shall not be reduced or ceased without issuing a show cause notice and providing an opportunity to the person concerned for making his representation within a time to be fixed by the Secretary.

(4) समस्त कौटुम्बिक पेंशन आदेशों का एक रजिस्टर जारी किये गये, रद्द किये गये या पुनरीक्षित कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेशों की विशिष्टयां अभिलिखित करते हुए सचिव द्वारा रखा जायेगा।

6. पुनरीक्षित कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश का जारी किया जाना.- सचिव यह समाधान होने पर कि नियम 3 के अधीन जारी किया गया कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश पुनरीक्षित किया जाना आवश्यक है, स्व:प्रेरणा से या अन्यथा, समय-समय पर अधिनियम या नियम के उपबंधों को पुष्ट करने के लिए पुनरीक्षित कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश जारी कर सकेगा और पुनरीक्षित कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश के जारी होने पर पिछला प्रवृत्त कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश प्रभावहीन हो जायेगा :

परन्तु कौटुम्बिक पेंशन की रकम कारण बताओ सूचना जारी किये बिना और सम्बन्धित व्यक्ति को सचिव द्वारा नियत किये जाने वाले समय के भीतर उसके द्वारा ज्ञापन दिये जाने का अवसर उपलब्ध कराये बिना घटायी या बन्द नहीं की जायेगी।

Form-I

Application for Family Pension

(See rule 3)

From :

……………………………………………………………………….……….

W/o/Husband/Son/Daughter of…………………………………………....

Ex-Member, Rajasthan Legislative Assembly…………….

To,

The Secretary,

Rajasthan Legislative Assembly.

JAIPUR

Subject : Grant of family pension under Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956.

Sir,

Under section 4-C of the aforesaid Act, I am entitled to family pension as my husband/wife Shri/Shrimati……………………………… remained Member of Rajasthan Legislative Assembly From…………..… to…………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………..

……………………

It is requested that necessary action may be taken to grant family pension to me. I want to take my said family pension from public sector Bank Branch…………………..Treasury/Sub-Treasury………..

I attach herewith the copies of the following documents verified by Magistrate I Class/Gazette Officer of Central Government or State Government/existing member of Parliament/Rajasthan Legislative Assembly :-

प्ररुप-1

कौटुम्बिक पेंशन के लिए आवेदन

(नियम 3 देखिए)

प्रेषक :

....

पत्नी/पति/पुत्र/पुत्री श्री..................

भूतपूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा...........

प्रेषिती,

सचिव,

राजस्थान विधान सभा,

जयपुर

विषय :- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 के अधीन कौटुम्बिक पेंशन की मंजूरी।

महोदय,

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4-ग के अधीन, मैं कौटुम्बिक पेंशन के लिए हकदार हूं क्योंकि मेरा पति/पत्नी श्री/श्रीमती.................... वर्ष............ से...................तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे हैं।

यह अनुरोध किया जाता है कि मुझे कौटुम्बिक पेंशन मंजूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाये। मैं मेरी उक्त कौटुम्बिक पेंशन पब्लिक सेक्टर बैंक की शाखा................कोषागार/उप कोषागार............से लेना चाहता हूं।

मैं इसके साथ मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी/केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी/संसद/राजस्थान विधान सभा के विद्यमान सदस्य द्वारा सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता हूं :-

(1) Three specimen signature.

(2) Three latest photographs of passport size

My present address…………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..

My permanent address………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

I hereby declare that :-

(1) I am not working on the elected post of President or Vice-President or on the post of the Governor of any State or post of the Administrator of any Union Territory.

(2) I am not a member of Council of States or House of the People or Legislative Assembly of any State or Union Territory or of Legislative Council of any State or Delhi Metropolitan Council framed under section 3of Delhi Administration Act, 1956.

(3) I am not paid employee of Central Government or of any State or under the ownership of any local authority or of any Corporation controlled by it or I am/we are not otherwise entitled for any remuneration from the said Government or Corporation or local authority.

(4) I am working on the post of ……………………. Or member of ………………………………… or appointed on the post of ………………….. or in a………… and I ……….. get Rs……………………… P.M. as a total remuneration.

(5) Identification mark of pension receiver ……………………..

(6) I have not been remarried.

(7) I have received pension/ other income from other sources Rs. …..….., which is received from ……..….. as pension/income.

Yours faithfully,

………..………

(Signature)

(1) तीन नमूना हस्ताक्षर

(2) तीन पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो

मेरा वर्तमान पता...............

मेरा स्थायी पता................

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि :-

1. मैं राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के निर्वाचित पद पर या किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर या किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के पद पर कार्यरत नहीं हूं।
2. मैं राज्य सभा या लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा या संघ राज्यक्षेत्र या किसी राज्य की विधान परिषद या दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विरचित दिल्ली महानगर परिषद का सदस्य नहीं हूं।
3. मैं केन्द्र सरकार का या किसी सरकार का या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व के अधीन या इसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम का वेतन पाने वाला कर्मचारी नहीं हूं या मैं/हम उक्त सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकरण से कोई पारिश्रमिक का अन्यथा हकदार नहीं हूं/हैं।
4. मैं........के पद पर या............के सदस्य के रूप में कार्यरत हूं या...........के पद पर या.........मैं नियुक्त हूं या मैं कुल पारिश्रमिक के रूप में..........रु. प्रतिमास प्राप्त करता हूं।
5. पेंशन पाने वाले का पहचान चिह्न..............
6. मैं पुनर्विवाहित नहीं हूं।
7. मैंने अन्य स्त्रोतों से............रु. पेंशन/अन्य आय प्राप्त की है, जो पेंशन/आय के रूप में...........से प्राप्त की है।

भवदीय

(हस्ताक्षर)

Name in clear words………………………………..

Place ………….

Date……………

Rajasthan Legislative Assembly Secretariat

It is certified that Shri/Shrimati…………….…………..….. remained member of Rajasthan Legislative Assembly for the following periods : -

From…………………………..To……………………………………..…..

From…………………………..To……………………………………..…..

From…………………………..To……………………………………..…..

From…………………………..To……………………………………..…..

It is certified that Shri/Shrimati …………………… (In legible words) remained member of the House of the People for the following periods:-

From…………………………..To……………………………………..…..

From…………………………..To……………………………………..…..

From…………………………..To……………………………………..…..

From…………………………..To……………………………………..…..

Secretary,

Rajasthan Legislative Assembly

It is certified that Shri/Shrimati………………………. (In legible words) remained member of the Council of the States for the following periods:-

From…………………………..To……………………………………..…..

From…………………………..To……………………………………..…..

From…………………………..To……………………………………..…..

From…………………………..To……………………………………..…..

Secretary,

Rajasthan Legislative Assembly.

स्पष्ट शब्दों में नाम....................................

स्थान.....................

तारीख..............

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.............निम्नलिखित कालावधियों के लिए राजस्थान विधान सभा का सदस्य रहा है/रही है :-

....से.......................................तक

....से.......................................तक

....से.......................................तक

....से.......................................तक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....................(सुपाठ्य शब्दों में) निम्नलिखित कालावधियों के लिए लोक सभा का सदस्य रहा है/रही है :-

....से.......................................तक

....से.......................................तक

....से.......................................तक

....से.......................................तक

सचिव,

राजस्थान विधान सभा

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती....................(सुपाठ्य शब्दों में) निम्नलिखित कालावधियों के लिए राज्य सभा का सदस्य रहा है/रही है :-

....से.......................................तक

....से.......................................तक

....से.......................................तक

....से.......................................तक

सचिव,

राजस्थान विधान सभा

Rajasthan Legislative Assembly Secretariat

Jaipur, Dated ……….. 20 ……

Till further orders and in the end of every month, pay the amount of Rs………………. to Shri/Shrimati…………………..……

…………………………………………………………………………..

the family pension amount under Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 and details of which is as follows: -

Amount of family pension payable under

Section 4-C of the Act, Rs………………………….

Debit remuneration/Family Pension amount

Receiving under Section 4-C of the Act, Rs ………………………….

Net amount payable of Family Rs ………………………...

Pension

Payment should be from date…………………………...and should be up to date …………………..……

(Signature……………….)

Secretary,

Rajasthan Legislative Assembly.

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

जयपुर, दिनांक : 20

अगले आदेशों तक और प्रत्येक मास की समाप्ति पर श्री/ श्रीमती..
को राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 के अधीन कौटुम्बिक पेंशन रकम................रु. का संदाय करें और जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

अधिनियम की धारा 4-ग

के अधीन संदेय कौटुम्बिक

पेंशन की रकम ....रु.

अधिनियम की धारा 4-ग

के अधीन प्राप्त पारिश्रमिक/कौटुम्बिक

पेंशन रकम विकलन ....रु.

कौटुम्बिक पेंशन की शुद्ध

संदेय रकम ....रु.

संदाय दिनांक............से दिनांक..........तक होना चाहिए।

(हस्ताक्षर)

सचिव,

राजस्थान विधान सभा

Form-II

(See rule- 4)

Family Pension Payment Order

(In triplicate)

1. Amount disbursing officer's portion.
2. Pensioners Portion
3. Office.

Debitable to the State Government.

Account Head : -

Photo

Major Head

Major Head

Voted

Photo of Ex-members

Family Pensioner/Person authorized under rule 3

Verified by competent officers

1. Family Pensioner's Name

   ....

   (i) Name of the person authorised.

2. Address of the residence …………

   …………………………………..

   Village & Sub-Division …………

3. Identification mark of the Family pensioner

4. Class of pension- Pension under Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956

5. Monthly Family pension amount Rs ………………… (In figures) Rupess ……………………………..…...(In words)

Signature of family pensioner the person

Authorized under rule 3

प्ररुप-2

(नियम 4 देखिए)

कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश

(तीन प्रतियों में)

1. रकम संवितरक अधिकारी का भाग
2. पेंशनर का भाग
3. कार्यालय
   राज्य सरकार को विकलनीय
   लेखा शीर्ष

   मुख्य शीर्ष
   मुख्य शीर्ष

फोटो

नियम 3 के उपबंधों के अधीन भूतपूर्व सदस्यों, कौटुम्बिक पेंशनरों/ प्राधिकृत व्यक्ति का फोटो।

सक्षम अधिकारियों द्वारा सत्यापित

1. कौटुम्बिक पेंशनर का नाम
   ....
   (i) प्राधिकृत व्यक्ति का नाम
2. निवास का पता..................
   ....
   गांव एवं उप-खण्ड......................
3. कौटुम्बिक पेंशनर का पहचान चिन्ह
4. पेंशन का वर्ग- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 के अधीन पेंशन।
5. मासिक कौटुम्बिक पेंशन रकम..................रु. (अंकों में)......................
   .... रुपये (शब्दों में)

नियम 3 के अधीन कौटुम्बिक पेंशनर,
प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

6. Payment should be made from 1st August, 2009 or with effect from the date of death of such Ex-member (whichever is later) and thereafter the amount Rs. …….. may be paid.

7. Payment office and place ………………….

Secretary,

Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur

Amount of family pension in Rupees………………….....…….… (In words) to be recorded under every separate payment by the order of disbursing officers .

Month for which family pension is due	**20**	**20**	**20**	**20**
	Date of payment	**Signature of amount disbursing officer**	**Date of payment**	**Signature of amount disbursing officer**
March				
April				
May				
June				
July				
August				
September				
October				
November				
December				
January				
February				

6. संदाय 1 अगस्त, 2009 से या ऐसे भूतपूर्व सदस्य की मृत्यु की तारीख से (जो भी बाद में हो) किया जाना चाहिए और तत्पश्चात् ....रु. की रकम संदत्त की जाये।

7. संदाय कार्यालय और स्थान................

सचिव,

राजस्थान विधान सभा, जयपुर

कौटुम्बिक पेंशन की रकम..............रु. (शब्दों में) संवितरक अधिकारी के आदेश द्वारा प्रत्येक पृथक संदाय के अधीन अभिलिखित की जाये।

मास, जिसके लिए कौटुम्बिक पेंशन देय हो	20	20	20	20
	संदाय की तारीख	**रकम संवितरक अधिकारी के हस्ताक्षर**	**संदाय की तारीख**	**रकम संवितरक अधिकारी के हस्ताक्षर**
मार्च				
अप्रैल				
मई				
जून				
जुलाई				
अगस्त				
सितम्बर				
अक्टूबर				
नवम्बर				
दिसम्बर				
जनवरी				
फरवरी				

Form–III

(See rule 5)

Declaration

(To be submitted with the family pension bill two times in the first and subsequent year i.e. in the month of November by the person authorised under rule 15)

I hereby declare that :-

1. I……………………………………………..…..have not been elected/ appointed on the State or post of the President/Vice President or on the post of Governor of a on the post of an Administrator of an Union, Territory; or

2. I………………………………………………….. am not member of Council of States or House of the People or of any State Legislative Assembly or Council; or

3. I …………………………………..am not paid employee of Central Government or any State Government or any Corporation owned or controlled by Central or State Government or any Local Authority; or

4. I ………………………..am not entitled otherwise to get re-muneration from said Government or Corporation or Local Authority; or

5. I ……………………,…………...…………am working on the post of …………….or am member of …………. or am appointed as a ………………… (write here the name of the office of Central Government/State Government/Local Authority/office of the corporation owned, controlled by Central Government of State Government) ………………… and I am receiving total remuneration Rs………………..P.M.

6. I have not been remarried.

…………………….

Signature

Address…………………

……………………….

प्ररुप-3

(नियम 5 देखिए)

घोषणा

(नियम 5 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा कौटुम्बिक पेंशन बिल के साथ दो बार, पहली बार और पश्चातवर्ती वर्ष अर्थात नवम्बर मास में प्रस्तुत किया जाये)

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि :-

1. मैं.........................राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति के पद पर या किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर या किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के पद पर निर्वाचित/नियुक्त नहीं किया गया हूं, या

2. मैं................राज्यसभा या लोकसभा या किसी विधान सभा या परिषद का सदस्य नहीं हूं; या

3. मैं....................केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाणीन किसी निगम का वेतन पाने वाला कर्मचारी नहीं हूं; या

4. मैं......................उक्त सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकरण से पारिश्रमिक प्राप्त करने का अन्यथा हकदार नहीं हूं; या

5. मैं....................,......................के पद पर कार्य कर रहा हूं या.............. का सदस्य हूं या......................के रूप में नियुक्त हूं। (यहां केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन निगम के कार्यालय का नाम लिखें).................और मैं कुल पारिश्रमिक...........रु. प्रतिमास प्राप्त कर रहा हूं।

6. मैं पुनर्विवाहित नहीं हूं।

....

हस्ताक्षर

पता......................

....

Form-IV

(See rule 5)

(A)

Rajasthan Legislative Assembly

Family Pension Bill

Rs. P.M. ………………………………..Family Pension Payment

Order No ….……………………………………..dated ………………..

Memo:- Use this form the submitting next bill.

Months ………………….

Vouchers of the list of

Payment for the year…………

……………….........................

District…………………………………………….……..Accounts

Item No ………………

I received my due family pension for the month……..20………..Amount Rs………..

Income Tax dedication Rs………………………………………..

Net Amount Rs….………………………………….……………

(Rs. In words) …………………………………………………………..

Place ……………

Date …………….

Address of the family pensioner Received Payment

Identify

(Revenue Stamps)

Pensioner

Signature

Designation & Address ………………………………...……………..

प्ररुप-4

(नियम 5 देखिए)

(क)

राजस्थान विधान सभा

कौटुम्बिक पेंशन बिल

.....................रु. प्रतिमास कौटुम्बिक पेंशन संदाय आदेश सं........................

..............दिनांक....................

मेमो :- इस प्ररुप का उपयोग अगला बिल प्रस्तुत करने के लिए करें।

मास..................

वर्ष.................. के लिए

संदाय की सूची के वाउचर

....

जिला.............................लेखा मद संख्या....................................

मैंने........मास, 20......के लिए मेरी देय कौटुम्बिक पेंशन रकम........... रु. प्राप्त कर ली है।

आयकर कटौती..............….....रु.

शुद्ध रकम.....................रु.

(रु. शब्दों में.............................)

स्थान.................

दिनांक...............

कौटुम्बिक पेंशनर का पता

पहचान

(हस्ताक्षर)

पदनाम एवं पता................

संदाय प्राप्त किया

(रसीदी टिकिट)

पेंशनर

(A-1)

Certificate to be given when one does not appear in person

(except where such certificate is not essential under any rule or order)

It is certified that I have seen the family pensioner that he/she is alive and that he/she has signed this bill.

Name………..………….

Date……………………..……...….Designation…………..……..……..

Endorsement to be signed by the family pensioner

Please, pay to…………………………………..……….. family pensioner

For the use of Treasury

Bank/Treasury………………………………………..…………………..

Pay Rs…………………………………………………………..………

Debited in the accounts………………………………………………….

Date………… Accountant T.O. or Sub-T.O.

Receipt of the receiver

Received the payment

I identify Signature of the Bearer or agent

Signature…………………………………

Designation and Address…….……….

…….……………...……………………

For Bank/Treasury

Payment made for Rs …………………….(in words…………...………..)

Bank/Treasury

(क-1)

व्यक्तिश: उपस्थित नहीं होने पर प्रमाण-पत्र दिया जाये

(सिवाय इसके जहां ऐसा प्रमाण-पत्र किसी नियम या आदेश के अधीन आवश्यक नहीं है)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कौटुम्बिक पेंशनर को देख लिया है कि वह जीवित है और कि उसने इस बिल पर हस्ताक्षर किये हैं :-

नाम.............................

तारीख........................पदनाम...........................

पृष्ठांकन कौटुम्बिक पेंशनर द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा

कृपया,........................ को कौटुम्बिक पेंशन संदत्त करें।

कोषागार के उपयोग के लिए

बैंक/कोषागार............................

.....................रु. संदत्त करें

.... लेख में जमा

तारीख ....

लेखाकार कोषागार या
उप कोषागार

प्राप्त करने वाले की रसीद

संदाय प्राप्त किया

धारक या अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं पहचान करता हूं

हस्ताक्षर...............................

पदनाम एवं पता....................

....

बैंक/कोषागार

..........................रु. (शब्दों में...................................) का संदाय किया।

बैंक/कोषागार

For the use of in the office of Rajasthan Legislative Assembly

Granted Rs…………………………………………..…………

objection for Rs ……………………..……..

Auditor Superintendent Secretary

By Order of the Governor,

S. D. Tak

Principal Secretary to the Government.

राजस्थान विधान सभा के कार्यालय के उपयोग के लिए

.... रु. मंजूर किये गये

...............................रु. के लिए आक्षेप

अंकेक्षक अधीक्षक सचिव

राज्यपाल के आदेश से,

एस. डी. टाक

प्रमुख शासन सचिव